भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 281
उत्तर देने की तारीख : 24 जून, 2019

कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता योजना

281. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मंत्रालय की ओर से कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता योजना में कुछ परिवर्तन करना चाहती है;
(ख) क्या पात्र कलाकार पेंशन से बाहर रखे जाते हैं और ग्रामीण लोक कलाओं को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत है;
(ग) क्या विगत में सरकार के समक्ष कलाकारों की सही पहचान हेतु जिला स्तर पर कलाकारों के प्रमाणन संबंधी कोई मामला कभी आया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इस योजना की कमियों को दूर करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

उत्तर
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)
संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) : जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) : यह स्कीम उन सभी पात्र कलाकारों के लिए खुली है जो स्कीम के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आते हैं।

(ग) और (घ) : आवेदक की वास्तविकता की पहचान करने के लिए आवेदक कलाकार को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कम से कम 500 रुपए प्रति माह की पेंशन प्राप्त करना अनिवार्य है।

(ङ) : उपरोक्त (ग) और (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

***